

पत्र संख्या-१३/वि०मं०-०६/२०२४ सा० 54/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सत्यम सहाय,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना-१५, दिनांक - 12 फरवरी, 2024

विषय - मा० श्री संजय पासवान (विधान सभा) स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के २०६ वें सत्र में पूछा जाने वाला ऑन-लाईन तारांकित प्रश्न संख्या-१२०६/२६९ के स्थानांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट से प्राप्त ऑन-लाईन तारांकित प्रश्न संख्या-१२०६/२६९ द्वारा इस विभाग के लॉगिन से प्राप्त है । आलोच्य प्रश्न संख्या-१२०६/२६९ का विषयवस्तु "कनीय अभियंताओं के रिक्त पद पर बहाली, प्रोन्नति तथा उन्हें पुरानी पेंशन की पुनर्बहाली करने,से संबंधित है," । उक्त विषय जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से संबंधित रहने के कारण आलोच्य तारांकित प्रश्न की प्रति वांछित कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि तारांकित प्रश्न का उत्तर जल संसाधन विभाग से देने की कृपा की जाय । इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय को दी जा रही है ।
अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-१३/वि०मं०-०६/२०२४-सा० 54/पटना-१५, दिनांक- 12 फरवरी, २०२४
प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के ऑन-लाईन तारांकित प्रश्न संख्या-१२०६/२६९ के क्रम में प्रेषित तथा अनुरोध है कि उक्त ऑन-लाईन तारांकित प्रश्न संख्या-१२०६/२६९ को सामान्य प्रशासन विभाग, पटना की सूची से विलोपित कर जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की सूची में रखने की कृपा की जाय ।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-१३/वि०मं०-०६/२०२४-सा० 54/पटना-१५, दिनांक- 12 फरवरी, २०२४
प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

बिहार विधान परिषद प्रश्न

1/206/269

पद पर प्रोन्नति

25/01/2024

08/02/2024

*1/206/269

श्री संजय पासवान (विधान सभा)

सामान्य प्रशासन

(क) क्या यह सही है कि राज्य में आठ हजार कनीय अभियंताओं के पद रिक्त है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के कनीय अभियंताओं के रिक्त पद पर प्रोन्नति, संबंधित विभागों में कार्यरत अभियंताओं को ए०सी०पी० का लाभ देने और उनके द्वारा पुरानी पेंशन की पुनर्बहाली की मांग लंबी अवधि से की जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित अभियंताओं के रिक्त पद पर शीघ्र बहाली प्रक्रिया पूर्ण करना चाहती है तथा संबंधित विभागों में कनीय अभियंताओं के रिक्त पद पर प्रोन्नति तथा उन्हें पुरानी पेंशन की पुनर्बहाली करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

S-0-13
9.11.0-541/2110-13
08/2/2024